न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 281/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– बख्ताराम पुत्र चिमाराम 2– जगराम पुत्र सुरताराम 3– किशनाराम पुत्र सुरताराम जातियान विश्नोई निवासीगण सोमरडी तहसील सेंडवा, जिला बाडमेर		1– श्रीमती पारू पुत्री गणेशा पत्नी हणुताराम जाति विश्नोई निवासी सोमरडी तहसील सेडवा, जिला बाडमेर हाल निवासी मेघवा, तहसील चितलवाना जिला जालोर 2– श्रीमती वरजू पुत्री गणेशा पत्नी कोजाराम जाति विश्नोई निवासी सोमरडी तहसील सेडवा, जिला बाडमेर हाल निवासी खेरूडी, तहसील सांचौर जिला जालोर 3– ग्राम पंचायत भैरूडी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 8/2014 अनवान श्रीमती पारू वगैरा बनाम ग्राम पंचायत वगैरा मे दिनांक 28–7–2015 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री एल.आर.पूनिया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।
3–शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 17–12–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने ग्रांम बावतलाई पटवार मण्डल भरूडी के नामांतरकरण संख्या 126 दिनांक 1987 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन मे प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की इस आशय की पेश की कि उक्त म्युटेशन मे वर्णित खसरा नंबरान की भूमि उसके पिता गणेशा, बखता एवं सुरता पि0 चिमा कौम विश्नोई के सहखातेदारी की थी । परंतु वर्तमान अपीलांट संख्या 2 व 3 के पिता सुरता एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता गणेशा के देहांत होने पर उनके फोतेदगी का म्युटेशन संख्या 126 वर्तमान अपीलांट संख्या 2 जगराम व अपीलांट संख्या 3 किशनाराम के पक्ष मे मृतक गणेश के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही सरपंच ग्राम पंचायत भैरूडी द्वारा स्वीकृत कर दिया जबकि वे मृतक खातेदार की पुत्रियां है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होते हुए उन्हे उनके पिता के खातेदारी से वंचित करते हुए जो अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत किया है, जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–7–2015 के द्वारा स्वीकार कर ग्राम पंचायत भैरूडी द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 126 निरस्त कर उक्त नामांतरकरण में वर्णित भूमि मे अपीलांटगण (वर्तमान रेस्पो0 संख्या

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

1 व 2) का 1/3 हिस्सा खातेदारी मे दर्ज कर नये सिरे से नामांतरकरण पारित करें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 126 जो कि वर्ष 1987 मे स्वीकृत हुआ था, उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2014 मे लगभग 27 वर्ष के विलंब से अपील के जरिये चुनौती दी थी तथा धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे इतने असाधारण विलंब को क्षमा करने बाबत कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण का उल्लेख नही होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु को निर्णित कर अपील को अंदर सुमार करने बाबत आदेश पारित किये बिना ही अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मंत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं की ओर ध्यान दिलाया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे उतरदाता संख्या 2 से 4 (वर्तमान अपीलांटगण) की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हो चुके थे तथा वकालातनामा भी पेश किया जा चुका था तथा पत्रावली जवाब मे विचाराधीन चल रही थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 7–5–15 के द्वारा पत्रावली को लोक अदालत केम्प भेरूडी मे रखने का आदेश आदेशिका मे करते हुए अपीलाधीन निर्णय पत्रावली को लोक अदालम केम्प भेरूडी मे रखते हुए पारित कर दिया जबकि पक्षकारो के अधिवक्ता को केम्प मे पत्रावली को रखे जाने की सूचना का कोई नोटिस जारी नही किया गया और न ही अधिवक्ता को इस बाबत नोटेड ही कराया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नेचुरल जस्टिस के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि लोक अदालत मे केवल राजीनामे के ही प्रकरण राजीनामे के जरिये निस्तारित किये जा सकते है परंतु वर्तमान मामले मे पक्षकारो के बीच कोई राजीनामा नही हुआ था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प मे पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 जो कि म्युटेशन की कार्यवाही मे पक्षकार नही थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे उनके द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के साथ अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का पेश किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक

28–7–2015 निरस्त कर प्रंकरण अधीनस्थ न्यायालय को दोनो पक्षकारो को सुनकर मयाद के बिन्दु को पहले निर्णित करने के बाद अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि ग्राम बावतलाई पटवार मण्डल भरूडी के नामांतरकरण संख्या 126 मे वर्णित खसरा नंबरान की भूमि गणेशा, बखता एवं सुरता पि0 चिमा कौम विश्नोई के सहखातेदारी की थी तथा रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 श्रीमती पारू एवं श्रीमती वरजू मृतक खातेदार गणेशा की पुत्रियां है

परंतु अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करते समय मृतक गणेशा के वारिसान की जांच किये बिना फोतेदगी म्युटेशन संख्या 126 के कॉलम संख्या 14–16 मे "गणेश के जायंदा पुत्र नही है व औरत भी नही है" का नोट लगाते हुए उसके हिस्से की खातेदारी की भूमि का नामांतरकरण वर्तमान अपीलांटगण के नाम दर्ज कर ग्राम पंचायत भेरूड़ी द्वारा स्वीकृत कर दिया । जबकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार गणेशा की जायंदा पुत्रियां है जो कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अंनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है जिनका अपने पिता के खातेदारी की भूमि पर प्रथम अधिकार होते हुए उन्हे उनके पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित करते हुए वर्तमान अपीलांटगण जो कि मृतक खातेदार गणेश के भाई एवं भतीजे है, उनके नाम दर्ज करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत भेरूडी द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 126 स्वीकृत कर दिया जो प्रारंभ से ही विधिविरूद्ध था तथा विधिविरूद्ध आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है तथा ऐसे विधिविरूद्ध आदेश की जानकारी होने पर प्रथम जानकारी की दिनांक से मयाद का बिन्दु लागू होता है इसलिए अपीलांट अधिवक्ता का मयाद के बिन्दु पर किया गया एतराज निरस्त योग्य है । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपीलांट द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश नही किया था । वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे 1994 आर.आर.डी. पेज 605 एवं 604 के उद्धरण प्रस्तुत किये ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि मे मृतक के प्रथम श्रेणी के वारिस के होते हुए वर्तमान अपीलांटगण का कोई अधिकार नही रहता इसलिए उन्हे यह द्वितीय अपील पेश करनें का अधिकार ही नही है ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपीलांटगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हो गये थे जिनको जवाब हेतु आदेशिका दिनांक 17.12.14, 21.1.15, 13.3.15, 16.4.15 एवं 7.5.15 लगभग 6 माह का समय दिया जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही किया जानै पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका मे पत्रावली को कोर्ट केम्प मे रखने का आदेश पारित करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है तथा निर्णय मे रेस्पो0 अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज है इसलिए अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन गलत है कि उन्हे सुनवाई का अवसर नही दिया गया हो । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे विस्तृत बिवेचन करते हुए मृत

खातेदार गणेशा के खातेदारी मे उसकी पुत्रियो के नाम दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 216 ग्राम बावतलाई एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–7–2015 का गहनता से अध्ययन किया । अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 216 मे वर्णित भूमि गणेशा, बखता एवं सुरता पि0 चिमा कौम विश्नोई के सहखातेदारी की थी तथा खातेदार गणेश एवं सुरता दोनो के फोत होने पर उक्त म्युटेशन संख्या 216 स्वीकृत करने से पूर्व मृत खातेदार गणेश के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई मात्र उक्त म्युटेशन के कॉलम संख्या 14 से 16 मे गणेश के कोई जायंदा पुत्र नही व औरत भी नही का उल्लेख करते हुए गणेश एवं सुरता के स्थान पर सुरता के तीन पुत्रो का नाम दर्ज करते हुए पेश किया जिसे सरंपच ग्राम पंचायत भेरूडी द्वारा स्वीकृत कर दिया जबकि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 श्रीमती पारू एवं श्रीमती वरजु मृतक गणेश की पुत्रियां जीवित है तथा वे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है इसलिए म्युटेशन संख्या 216 विधिसम्मत नही माना जा सकता है । उक्त म्युटेशन की जानकारी मृतक खातेदार गणेश की पुत्रियां वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को होने पर अधीस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील पेश की थी तथा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जिसमे विलंब को क्षमा करने बाबत उल्लेखित कथनो को सही मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–7–2015 के द्वारा स्वीकार कर ग्राम पंचायत भैरूडी द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 126 निरस्त कर उक्त नामांतरकरण मे वर्णित भूमि मे अपीलांटगण (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2) का 1/3 हिस्सा खातेदारी मे दर्ज कर नये सिरे से नामांतरकरण पारित करें, जिसमे प्रथमदृष्टिया किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

जहां तक अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय मे उनको सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया, इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली की आदेशिकाओ का अवलोकन करने पर आदेशिका दिनांक 26–11–2014 को अपीलांटगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हो गये थे तथा उनकी ओर से वकालातनामा भी पेश हो गया था तथा पत्रावली मे जवाब हेतु दिनांक 17.12.14, 21.1.15, 13.3.15, 16.4.15 एवं 7.5.15 लगभग 6 माह का समय दिया जाने के बाद जवाब पेश नही किया गया इसलिए यह नही माना जा सकता कि उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया हो ।

इसके अलावा अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय मे विलंब से प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद सुमार करने बाबत कोई आदेश पारित किये बिना अपील का गुणावगुण पर निर्णय नही कर दिया, इस संबंध मे उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 216 जो कि मृतक खातेदार गणेश के फोतेदगी का स्वीकृत किया गया था जिसमे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 जो कि मृतक खातेदार गणेश की

जायंदा पुत्रियां होते हुए मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये बिना मात्र यह उल्लेख करते हुए कि मृतक गणेश के कोई जांयदा पुत्र नही, व औरत नही है, उक्त म्युटेशन मे पुत्रियां जो कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होते हुए उन्हे वंचित रखते हुए भतीजो के नाम म्युटेशन स्वीकृत कर दिया,जो प्रारंभ से ही विधिविरूद्ध आदेश था तथा ऐसे विधिविरूद्ध आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेक निर्णय नजीरो मे यह प्रतिपादित किया है कि जब प्रकरण गुणावगुण पर प्रबल हो तो तकनीकी कारणो के आधार पर उसे खारीज नही करना चाहिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह मयाद सुमार करते हुए पारित किया हुआ ही माना जायेगा इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–7–2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17–12–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर